

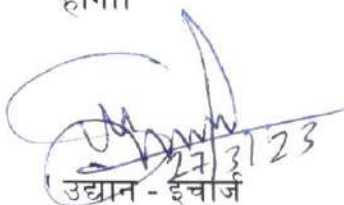
कृषि महाविद्यालय , कौल
नीलामी सूचना

सं० 692-700

दिनांक 29.03.2023

10 एकड़ बाग जिसमें आड़ू , आलुबुखारा , नाशपाती , आंवला , अमरूद , चीकू , लोकाट , ग्रेफुट , बेर , फालसा , अनार , बेलगिरी , करौंदा , देसी आम , जामुन और लीची की नीलामी दिनांक 06 -04 -2023 को सुबह 11 बजे (06.04.2023 से 31 मार्च 2024) तक के लिये, कार्यालय में की जाएगी। इच्छुक खरीददार रु 50000/- जमानत के रूप में प्रधानाचार्य के पास जमा करवाकर बोली दे सकता है। नीलामी की शर्तें निम्नलिखित होंगी :

1. बोली छूटने के तुरन्त बाद कुल राशि का चौथाई भाग मौके पर ही जमा करवाना होगा। शेष राशि तीन किशतों में क्रमशः 30 जून 2023 , 30 सितंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023 तक जमा करवानी होगी। किशत की राशि समय पर जमा ना कराने पर ठेकेदार को हर्जाने के रूप में रु 200/- प्रतिदिन के हिसाब से, किशत की राशि के साथ देना होगा। ऐसी अवस्था में फसल की तुड़वाई भी रोकी जा सकती है तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
2. प्राकृतिक नुकसान जैसे आंधी, तूफान, ओला , कीड़ा , बीमारी आदि के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह से ठेकेदार स्वयं दवाई खरीद कर छिड़काव कर सकता है।
3. पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने पर ठेकेदार को विभाग द्वारा निर्धारित जुर्माना भरना होगा।
4. पौधों की सिंचाई पानी उपलब्ध होने पर की जाएगी।
5. बाग की देखभाल की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
6. विभागाध्यक्ष की अनुमति से कभी भी बाग का निरीक्षण किया जा सकता है।
7. ठेकेदार को बाग किसी दूसरे को बेचने की अनुमति नहीं होगी।
8. विधार्थियों के शोध कार्य एवं अभ्यास के लिये 100 से 125 किलो ग्राम अच्छी गुणवत्ता के फल (अमरूद , चीकू , आंवला , आदि) मुफ्त में देने होंगे। इस से ज्यादा जरूरत पड़ने पर 20 रु प्रति किलो ग्राम के हिसाब से अदा किया जायेगा।
9. कमेटी बिना कारण बताये बोली को रद्द कर सकती है।
10. बाग में कार्य करने वाले कर्मचारी, बताया गया कार्य बिना रोक टोक करते रहेंगे।
11. सफल ठेकेदार को दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ उपरोक्त शर्तों का स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा देना होगा।


उद्यान - ईचार्ज


प्रधानाचार्य